न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—173/2019/223 (2019/00173)

1. कमला पत्नि स्व0 महावीर, जाति साध वैष्णव, निवासी ग्राम सनोद, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. घनश्याम पुत्र स्व0 बालदास, जाति साध वैष्णव, नि0 10—डी जैन, मंदिर के सामने, तिलक नगर, भीलवाड़ा ।
2. बद्री उर्फ सुरेश पुत्र स्व0 बालदास,
3. पोखर उर्फ पुखराज पुत्र स्व0 बालदास,
4. हेमन्त पुत्र महावीर,
5. संजय पुत्र महावीर,
6. शालू पुत्री महावीर,
7. मधु पुत्री महावीर,
8. कल्पना पुत्री महावरी,
   समस्त जाति साध वैष्णव, निवासी ग्राम सनोद, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नसीराबाद, जिला अजमेर ।
10. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक, नसीराबाद, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व अंतिम डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद, दिनांक 27.3.2019 अंतर्गत वाद संख्या 174/2016.

उपस्थितः—

1. श्री राघवेन्द्रसिंह राणावत, वकील अपीलांट ।
2. श्री गौतम टांक, वकील रेस्पो0 संख्या 1 एवं 3 .
3. श्री ज्ञान सागर, वकील रेस्पो0 संख्या 2, 4 व 5.
4. रेस्पो0 संख्या 6 से 8 अनुपस्थित ।
5. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 9 व 10.

निर्णय

दिनांकः— 20.12.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 27.3.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी घनश्याम ने अपीलांटस एवं अन्य प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध एक वाद अंतर्गत धारा 53, 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के न्यायालय में पेश कर निवेदन किया कि खतौनी संख्या 637/568 की आराजी खसरा संख्या 1399 रकबा 0.25 है0, खसरा संख्या 1473 रकबा 0.24 है0, खसरा संख्या 1810 रकबा 0.23 है0, खसरा संख्या 4349 रकबा 0.32 है0, खसरा संख्या 4355 रकबा 0.04 है0, खसरा संख्या 4356 रकबा 0.51 है0, खसरा संख्या 4357 रकबा 0.33 है0, खसरा संख्या 4402 रकबा 0.10 है0, खसरा संख्या 4403 रकबा 0.23 है0

कुल किता 10 कुल रकबा 2.95 है0 भूमि वाकै ग्राम सनोद तहसील नसीराबाद स्थित होकर उक्त आराजियात में वादी का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 7 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 8 का 1/4 हिस्सा है जिस संपूर्ण भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 से 6 अर्थात् अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 4 से 8 काबिज काश्त है तथा लगान सरकारी जमा कराते आ रहे है तथा वादी एवं अन्य को कोई हिस्सा प्रदान नहीं कर रहे है तथा आगे कथन करते हुए वाद में चाहे गये अनुतोष के अनुसार वादी का वाद बाबत् बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् डिक्री करने हेतु निवेदन किया । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 11.5.2018 को वादी का वाद डिक्री कर वाद में प्राथमिक डिक्री पारित की तत्पश्चात् दिनांक 27.3.2019 को अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना वाद में निर्णय व अंतिम डिक्री पारित कर दी । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व अंतिम डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 27.3.2019 न्याय, नियम एवं अभिलेख के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अंतिम डिक्री से पूर्व कुरेजात रिपोर्ट मंगवाई जाती है जिन पर पक्षकारान को नोटिस देकर ऐतराज तलब किये जाते है तत्पश्चात् ही अंतिम डिक्री पारित की जाती है किन्तु हस्तगत प्रकरण में अधी0न्याया0 उक्त विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना अंतिम डिक्री पारित की है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने तहसीलदार को प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा प्रस्ताव हेतु निर्देशित किया गया किन्तु बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा तैयार न कर पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये गये है जिनके आधार पर अधी0न्याया0 ने अंतिम डिक्री जारी करने में त्रुटि कारित की है। अधी0न्याया0 ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अंतिम डिक्री पारित की है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है । बहस में आगे कथन किया कि स्थाई निषेधाज्ञा का वाद केवल वही व्यक्ति ला सकता है जो काबिज काश्त खातेदार हो जबकि वाद पत्र में ही स्पष्ट अंकन है कि संपूर्ण भूमि पर अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 5 से 8 काबिज काश्त है जिन्हें बेदखल करवाये बिना वाद चलने योग्य नहीं था । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 27.3.2019 निरस्त की जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 1 एवं 3 ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व अंतिम डिक्री विधिसम्मत् है । विद्वान अधी0न्याया0 ने बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के अंतिम डिक्री पारित की है जिसमें सभी पक्षकारों के समान रकबा एवं समान किस्म की आराजियात रखी गई है । अपीलांट जानबूझकर अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित नही हुई है । अधी0न्याया0 का निर्णय व अंतिम डिक्री विधिसम्मत् है। अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने तहसीलदार, नसीराबाद को कुरेजात रिपोर्ट तैयार कर भिजवाने के निर्देश दिये थे जिसकी पालना में तहसीलदार नसीराबाद ने अपने पत्र क्रमांक 30.1.2019 के साथ मौका पर्चा मय नजरी नक्शा तैयार कर अधी0न्याया0 को भिजवाया है । उक्त मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 30.1.2019 पर घनश्याम, बदरी एवं पुखराज वैष्णव के हस्ताक्षर है । मौका

पर्चा रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट एवं अन्य रेस्पो0 प्रत्येक के खाते में 0.58, 0.58 है0 आराजी बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के विभाजित की जाकर प्रत्येक के खाते में समान रूप से बारानी एवं चाही भूमि रखी जाना प्रतीत होता है । अंतिम डिक्री व निर्णय में क्या त्रुटि है अपीलांट ने इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य हाजा न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किये है । अपीलांट दस्तावेजी साक्ष्यों से अपील तथ्यों को साबित करने में पूर्ण असफल रही है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है ।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 27.3.2019 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 20.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर